भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2087

01 अगस्त, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

बीपीएल लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा

2087. श्री पी. वी. मिधुन रेड्डी:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) वर्ग के लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने के लिए किसी नीतिगत उपाय पर विचार कर रही है, जबकि भारत में लगभग 28 प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा से नीचे है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार स्वास्थ्य बीमा के बारे में जागरूकता बढ़ा रही है और इससे जुड़ी गलत धारणाओं का निवारण कर रही है ताकि अधिक से अधिक लोग इसे अपना सकें; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) और (ख): आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) सरकार की एक प्रमुख योजना है, जो भारत की आबादी के आर्थिक रूप से कमजोर 40% हिस्से में शामिल 12 करोड़ परिवारों को अस्पताल में भर्ती होने पर मध्यम और विशिष्ट देखभाल के लिए प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवर प्रदान करती है।

मार्च 2024 में, पात्रता मानदंड का विस्तार करके इसमें 37 लाख मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (आशा), आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं (एडब्ल्यूडब्ल्यू), आंगनवाड़ी सहायकों (एडब्ल्यूएच) और उनके परिवारों को शामिल किया गया। हाल ही में, इस योजना का विस्तार करके वय वंदना कार्ड के माध्यम से 4.5 करोड़ परिवारों के 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को चाहे उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, शामिल किया गया है।

एबी-पीएमजेएवाई की मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं:

- 27 विशेषज्ञताओं में 1,961 प्रक्रियाओं के लिए प्रत्येक पात्र परिवार को ₹5 लाख का वार्षिक स्वास्थ्य कवर प्रदान किया जाता है।

- यह पूरी तरह से नकद रहित और कागज रहित है।
- इसमें पात्रता-आधारित, नामांकन के बिना पहले दिन से सभी पात्र परिवारों को कवर किया जाता है।
- इसके लाभ पूरे देश में पोर्टेबल हैं।
- इसमें परिवार के आकार, आयु या लिंग पर कोई सीमा नहीं है।
- इसे तीन-स्तरीय मॉडल- राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, राज्य स्वास्थ्य एजेंसियाँ और जिला कार्यान्वयन इकाइयाँ के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है।
- यह समय-समय पर वित्त मंत्रालय द्वारा जारी मौजूदा निर्देशों के अनुसार केंद्र और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच लागत-साझाकरण के साथ सरकार द्वारा वित्त पोषित है।
- राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के पास इसके परिचालन मॉडल में लचीलापन, अर्थात, - बीमा, ट्रस्ट या मिश्रित मोड है।
- एबी-पीएमजेएवाई के तहत, समय-समय पर आवश्यकतानुसार नई प्रक्रियाओं को शामिल करना, नए अस्पतालों को सूचीबद्ध करना, नए लाभार्थियों को शामिल करना और अन्य सुधार जैसे सुधार नियमित रूप से अद्यतन किए जाते हैं।

(ग) और (घ): भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) ने सूचित किया है कि बीमाकर्ताओं को पॉलिसीधारकों के हितों की सुरक्षा के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति लागू करना अनिवार्य है, जिसमें अन्य बातों के अलावा बीमा जागरूकता पैदा करने के लिए एक तंत्र स्थापित करना शामिल होगा ताकि संभावित ग्राहकों और पॉलिसीधारकों को बीमा उत्पादों, लाभों और उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में शिक्षित किया जा सके। बीमाकर्ताओं को सालाना पॉलिसी की समीक्षा करने की आवश्यकता होती है।

इसके अलावा, उत्पादों के कवरेज, विशेषताओं, लाभों के बारे में संभावित ग्राहकों/पॉलिसीधारकों की जागरूकता बढ़ाने के लिए, बीमाकर्ताओं को निम्नलिखित के लिए अधिदेशित किया गया है:

i. राइडर्स या ऐड-ऑन सहित प्रत्येक खुदरा उत्पाद के लिए प्रॉस्पेक्टस जारी करना, उत्पाद के सभी लाभों, विशेषताओं, नियमों और शर्तों को समझाना और अपनी वेबसाइट पर ऐसे प्रॉस्पेक्टस उपलब्ध कराना।

ii. यह सुनिश्चित करने के लिए उचित ढांचा तैयार करना कि बेचे जा रहे उत्पादों की विशेषताओं, लाभों के साथ-साथ नियम और शर्तों को सही ढंग से और पूरी तरह से दर्शाया गया है और यह कि उत्पादों को संभावित ग्राहकों या पॉलिसीधारकों के समक्ष गलत तरीके से प्रस्तुत नहीं किया गया है;

iii. सुपरिभाषित सेवा मानक, टर्नअराउंड समय, शिकायतों के शीघ्र समाधान के लिए प्रक्रिया, गलत बिक्री और अनुचित व्यापार व्यवहार को रोकने के लिए कदम उठाना;

iv. पॉलिसीधारकों को कवर किए गए लाभों, पॉलिसी की शर्तों और नियमों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से पॉलिसीधारकों को संक्षिप्त और अद्यतन ग्राहक सूचना पत्र (सीआईएस) जारी करना।

******